लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5607

06 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

सूती वस्त्र निर्यात

5607. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी:
श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:
क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूती वस्त्र निर्यात 15 बिलियन डॉलर से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2015 से इस संबंध में देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2014 से निर्यातकों को क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क) और (ख): वर्ष 2021-22 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान कपास वस्त्रों का रिकॉर्ड निर्यात रहा है। भारत के कपास वस्त्र निर्यात (कच्ची कपास, यार्न, फैब्रिक, मेड-अप्स आदि) का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में)

गंतव्य देश	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22 (अप्रैल-फरवरी)**
अमेरीका	2,112	2,142	2,148	2,363	2,323	2,688	3,150
बांग्लादेश पीआर	1,684	1,669	1,899	1,971	1,743	1,862	4,283
चीन पी आरपी	1,712	1,367	1,036	1,814	803	1,303	1,243
वियतनाम एसओसी आरईपी	275	292	442	467	215	426	532
श्रीलंका डीएसआर	352	376	385	440	467	423	584
जर्मनी	250	260	291	265	254	250	259
यूके	247	235	231	253	239	213	240
कोरिया आरपी	205	203	215	254	200	209	282
संयुक्त अरब ईएमटीएस	226	186	167	154	182	205	230
पेरू	96	108	136	133	143	151	195
अन्य देश	3,990	3,692	4,262	4,292	3,695	3,398	4,683
कुल योग	11,149	10,529	11,212	12,405	10,263	11,128	15,682

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त अनंतिम डाटा

(ग): सरकार भारतीय वस्त्र निर्यातों की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा पर लक्षित निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों द्वारा वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है:

i) मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2020 तक किए गए निर्यातों (वस्त्र उत्पादों सहित) के लिए लागू थी, जिसका उद्देश्य भारत में उत्पादित/निर्मित वस्तुओं/उत्पादों के निर्यात में शामिल संबद्ध लागतों तथा अवसंरचनात्मक खामियों को दूर करना है।

ii) वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने गारमेंट और मेडअप्स क्षेत्र हेतु एक विशेष पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज ने राज्य लेवियों पर छूट (आरओएसएल), श्रम कानून सुधार, संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन तथा आयकर अधिनियम की धारा 80जेजेएए के तहत रियायत प्रदान की है।

iii) दिनांक 07 मार्च 2019 से आरओएसएल योजना का स्थान राज्य तथा केंद्रीय करों तथा लेवियों की छूट (आरओएससीटीएल) योजना द्वारा ले लिया गया था। वस्त्र उत्पादों को लागत प्रतिस्पर्धी बनाने और जीरो रेटिड निर्यात के सिद्धांत को अपनाने के लिए, सरकार ने अपैरल/गारमेंट्स (अध्याय-61 तथा 62) तथा मेड-अप्स (अध्याय-63) के निर्यात पर आरओएससीटीएल को दिनांक 31 मार्च, 2024 तक जारी रखने को आगे बढ़ा दिया है। अन्य वस्त्र उत्पाद (अध्याय 61, 62 और 63 को छोड़कर) जो आरओएससीटीएल के तहत शामिल नहीं किए गए हैं, उन्हें निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और कर छूट (आरओडीटीईपी) के तहत अन्य उत्पादों के साथ शामिल किया गया है।

iv) सरकार ने वस्त्र क्षेत्र सहित एमएसएमई द्वारा किए गए निर्यातों के लिए शिपमेंट पूर्व और पश्च ऋण के लिए ब्याज समानीकरण दर को दिनांक 02.11.2018 से 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया है। ब्याज समानीकरण योजना के लाभ दिनांक 02.01.2019 से मर्चेंट निर्यातकों को भी प्रदान किए गए हैं, जो पहले केवल निर्माता निर्यातकों तक ही सीमित थे।

v) सरकार ने देश में एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स तथा तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वस्त्र हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना अनुमोदित की है। चयनित कंपनियां न्यूनतम निवेश और न्यूनतम/वृद्धिशील कारोबार प्राप्त करने पर प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र होंगी। इस योजना के दो भाग हैं: भाग-1 और भाग-2। भाग-1 के अंतर्गत, वर्ष-1 में अपेक्षित कारोबार प्राप्त करने पर 15% प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। योजना के भाग-2 के अंतर्गत, वर्ष-1 में अपेक्षित कारोबार प्राप्त करने पर 11% प्रोत्साहन दिया जाएगा। योजना के दोनों भागों के अंतर्गत, प्रोत्साहन वर्ष-2 से लेकर वर्ष-5 तक प्रत्येक वर्ष 1% तक कम किया जाएगा।

vi) इसके अलावा, सरकार ने प्लग एंड प्ले सुविधा सहित विश्वस्तरीय अवसंरचना का विकास करने के लिए ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड क्षेत्रों में 7 (सात) पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क की स्थापना करने का अनुमोदन दिया है। पीएम-मित्र पार्क में जल्दी स्थापित होने के लिए विनिर्माण इकाईयों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। यह केवल उन विनिर्माण कंपनियों के लिए उपलब्ध है जो वस्त्र पीएलआई योजना का लाभ नहीं उठा रही हैं।

*****